न्यायालय दशम् अपर जिला जज, हरदोई
एस०टी० नं०- ४२/२०१७
राज्य_____बनाम_____सुशील आदि

दि०- १७.११.२०१८

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पत्रावली आज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र २५ब अन्तर्गत धारा ३११ दं०प्र०सं० के निस्तारण हेतु नियत है।

अभियोजन की ओर से दि० ३१.१०.२०१८ को धारा ३११ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र २५ब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र २५ब पर सुना गया है तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थनापत्र २५ब इस मामले में पूनम पुत्री राजकुमार तिवारी निवासी तिलकपुरवा मजरा गोड़ाराव थाना बघौली जिला हरदोई को बतौर साक्षी तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र में आधार लिया गया है कि घटना के समय वादी मुकदमा कमलेश के साथ उसकी बहन पूनम भी दवा लेने के लिए जा रही थी तभी वादी के दो भाइयों झबुल्ले उर्फ विवेक व पुत्तूलाल की हत्या कर दी गयी। उस समय पूनम के पास दवा के पर्चे थे। उन पर्चों पर मृतकों का खून लग गया। वादी की बहन पूनम का दौरान विवेचना पुलिस ने भी बयान लिया था, किन्तु केस डायरी में उसका बयान अंकित नहीं किया और न ही सूची गवाहान में उसका नाम है। अतः पूनम पुत्री राजकुमार तिवारी उपरोक्त को बतौर साक्षी तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि वादी द्वारा लिखायी गयी प्र०सू०रि० व विवेचक को दिये गये बयान में भी पूनम का घटना स्थल पर मौजूद होना नहीं कहा गया है। वादी अथवा प्र०सू०रि० में नामित गवाहान व अन्य गवाहान ने भी अपने बयान धारा १६१ दं०प्र०सं० में पूनम द्वारा घटना देखने की बात नहीं की गयी है और न ही किसी गवाह ने पूनम का नाम साक्षी के रूप में बताया है। विवेचक द्वारा भी पूनम का बयान धारा १६१ दं०प्र०सं० नहीं लिखा है और न ही विवेचक को पूनम ने कोई बयान दिया है। यदि पूनम ने बतौर साक्षी विवेचक को बयान दिया होता तो विवेचक ने केस डायरी में उसका बयान अवश्य लिखा होता। पूनम का नाम बतौर

साक्षी आरोप पत्र में भी साक्षियों की सूची में नहीं है। वादी द्वारा विधिक राय मशविरे से पूनम को बतौर साक्षी असत्य एवं मनगढंत व विधि के विपरीत पेश करना चाहा गया है। अभियोजन की किसी कमी को पूरा करने के लिए धारा ३११ दं०प्र०सं० के तहत किसी साक्षी को तलब नहीं किया जा सकता। इन कथनों के साथ प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन द्वारा तर्क किया गया कि पी०डब्लू०-१ कमलेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसकी बहन पूनम घटना के समय उसके साथ थी। अतः न्यायहित में उसकी परीक्षा आवश्यक है।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया कि प्र०सू०रि० में गवाहान के रूप में पूनम पुत्री राजकुमार उपरोक्त के नाम का कोई उल्लेख नहीं है और न ही केस डायरी में पूनम पुत्री राजकुमार का साक्ष्य अन्तर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं० अंकित किया गया है। अतः पूनम पुत्री राजकुमार को बतौर साक्षी तलब नहीं किया जा सकता।

वादी मुकदमा पी०डब्लू०-१ कमलेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में अपनी बहन पूनम का घटना स्थल पर मौजूद होना बताया है तथा उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसने यह बात दरोगा जी को बतायी थी। हालाकि वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर/प्र०सू०रि० में पूनम की घटना स्थल पर उपस्थित नहीं दर्शायी है, परन्तु प्र०सू०रि० संपूर्ण कथन नहीं हो सकती है। अतः न्यायालय के मत में पूनम पुत्री राजकुमार को बतौर साक्षी तलब किया जाना न्यायहित में एवं मुकदमे के सही निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र २५ब स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र २५ब स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दि० २७.११.२०१८ को पेश हो। अभियोजन, पूनम पुत्री राजकुमार को साक्षी के रूप में एवं अन्य साक्षीगण को तलब किया जाना सुनिश्चित करे।

(हनी गोयल)

दि० १७.११.२०१८ दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

हरदोई